न्यायालयः—श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण।

परिवाद पत्र संख्या— 173/14

शेख शहाबुद्दीन

बनाम

ग्यासुर्रहमान उर्फ नन्हें खॉ

आदेश

06.05.2025

पुकार की गई। अभियुक्त गयासुर्रहमान उपस्थित। परिवादी के तरफ से हाजरी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी पक्ष के तरफ से दिनांक 18.03.2025 को धारा 311 दं0 प्र0 सं0 के अधीन आवेदन दिया गया, जिसकी प्रति बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को दी गई। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.03.2025 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

परिवादी पक्ष का अपने धारा 311 दं0 प्र0 सं0 के आवेदन में कहना है कि उपरोक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है। परिवादी के तरफ से आरोप गठन के पूर्व परिवाद पत्र में नामित साक्षीगण की गवाही परिपूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन न्यायालय द्वारा किया गया है। आरोप गठन के पश्चात् साक्षी रेयाज शाह का परीक्षण एवं आंशिक प्रति परीक्षण दिनांक 24.02.2022 को हुआ है तथा बचाव पक्ष के प्रार्थना पर साक्षी को डेफर किया गया है। दिनांक 18.04.2023 को रेयाज शाह की हाजिरी परीक्षण हेतु दिया गया था परंतु बचाव पक्ष के तरफ से प्रति परीक्षण हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ अतएव अभियुक्त ग्यासुरहमान खां का बंध—पत्र श्रीमान् के न्यायालय द्वारा विखण्डित किया गया जिसके बाद अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपना जमानत कराया। दिनांक 03.01.2024 को पुनः साक्षी रेयाज शाह की हाजिरी साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष दिया गया था परंतु बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रति परीक्षण हेतु अग्रिम तिथि निर्धारित किया गया। बचाव पक्ष के तरफ से सुलहनामा की बात चल रही थी जिस वजह से परिवादी अपने साक्षियों का गवाही नहीं कराया इसी दौरान परिवादी शेख शहाबुद्दीन गंभीर रूप से बीमार हो गया तथा दिनांक 06.02.2023 से लगातार सफदर जंग अस्पताल में हर्ट का इलाज कराने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एवं साक्षियों का गवाही नहीं करा सका। दिनांक 18.03.2024 श्रीमान् के न्यायालय द्वारा परिवादी का आरोप पश्चात् साक्ष्य बंद कर दिया गया है। परिवादी जानबुझकर लापरवाही नहीं किया है तथा न्यायालय में उपस्थित होकर साक्षीगण की गवाही प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। परिवादी को साक्षी प्रस्तुत करने हेतु अनुमति देना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि परिवादी को साक्षी प्रस्तुत करने हेतु अनुमति देने की कृपा प्रदान किया जाय।

इसके प्रतिउत्तर में बचाव पक्ष का कहना है कि उपरोक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में लंबित है। उपरोक्त वाद में परिवादी के तरफ से दिनांक 18.03.2025 को धारा—311 दं0 प्र0 स0 के अन्तर्गत आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन के पारा 5 में परिवादी के तरफ से कहा गया है कि दिनांक 03.01.2024

को पुनः साक्षी रेयाज साह की हाजरी साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष दिया गया था परन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रति–परीक्षण हेतु अग्रिम तिथि निर्धारित किया गया लेकिन अभिलेख अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अभिलेख कि तिथि 03.01.2024 ना होकर 23.01.2024 अंकित है तथा अभिलेख अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि साक्षी की हाजरी विलंब से देने के कारण साक्षी का प्रति–परीक्षण नहीं हो सका है। आवेदन के पारा 6 में परिवादी के द्वारा कहा गया है कि परिवादी गंभीर रूप से बीमार होने के वजह से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एवं साक्षियों की गवाही नहीं करा सकें लेकिन परिवादी या परिवादी के अधिवक्ता के द्वारा कोई भी ईलाज से संबंधित कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि परिवादी के द्वारा दिये गये धारा 311 दं0 प्र0 सं0 के आवेदन को खारिज करने की कृपा प्रदान की जाए।

आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 24.02.2024 को बचाव पक्ष के आवेदन पर साक्षी की प्रतिपरीक्षा स्थगित की गई थी। साक्षी का ईलाज चल रहा है। जिससे साक्षी साक्ष्य नहीं दे पाया। परिवादी पक्ष द्वारा दं0 प्र0 सं0 की धारा–311 के अधीन दिये गये आवेदन को न्यायहित में 2000 रूपया खर्च एवं लगातार तीन तिथियों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के शर्त पर अनुज्ञात किया जाता है। आरोप पश्चात् साक्ष्य हेतु 06.06.2025 नियत।

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।